न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान छगन बनाम काना

मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 40/2023

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.01.25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ताराचन्द मीणा व अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश सैनी, अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 16, 18 की ओर से अधिवक्ता श्री भीष्म असवाल एवं अप्रार्थी संख्या 19 की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य कुमार हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मण्डाभोपावास, पटवार हल्का पचार, भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 232 रकबा 9.8010 है0, प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। उन्हे उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 13, 17 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने हिस्से की भूमि लगभग 09 वर्ष पूर्व ही मौखिक इकरार से अप्रार्थी संख्या 19 को बेचान कर दी थी, तब से ही कब्जा लेकर उसमें प्लॉटिंग कर पट्टे जारी कर दिये गये थे। वादग्रस्त आराजी का पूर्व में ही आपसी सहमती से मनबट के आधार पर विभाजन हो चुका है। सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त, तारबंदी कर बिजली कनेक्शन वगैराह ले रखा है। यदि नजरी नक्शे अनुसार खभी खातेदारों का तकासमा किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 16, 18, की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर निवेदन किया कि	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अप्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल नहीं किया जा रहा है। यदि बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् तकासमा किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस व पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम मण्डाभोपावास, पटवार हल्का पचार, भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 232 रकबा 9.8010 है0,पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31/01/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम